समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

श्री मुरलीधर सिंह, कार्यालय परिचारी (निलंबित) जिला भू-अर्जन कार्यालय मुंगेर प्रतिनियुक्त जिला लोक शिकायत कार्यालय मुंगेर मुख्यालय जिला स्थापना शाखा मुंगेर को हत्या के आरोप में दिनांक 19.09.1998 के प्रभाव से अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 160/भू0अ0, दिनांक 16.12.1998 के द्वारा श्री सिंह कार्यालय परिचारी, जिला भू-अर्जन कार्यालय मुंगेर प्रतिनियुक्त जिला लोक शिकायत कार्यालय मुंगेर को निलंबित किया गया। दिनांक 12.10.1998 को Cr.App.-498/98(DA) में पटना उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत से मुक्त होने का आदेश पारित किया गया जिसके क्रम में दिनांक 16.10.1998 को न्यायिक हिरासत से मुक्त किया गया तत्तपश्चात् श्री सिंह कार्यालय परिचारी (निलंबित) जिला भू-अर्जन कार्यालय मुंगेर प्रतिनियुक्त जिला लोक शिकायत कार्यालय मुंगेर के द्वारा दिनांक 17.10.1998 को लोक शिकायत कार्यालय में योगदान दिया गया।

श्री मुरलीधर सिंह, को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मुंगेर के न्यायालय के वाद सं0 124/96 में हत्या का दोषी मानकर दिनांक 22.09.1998 को आजीवन कारावास की सजा की गई। इस निर्णय के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा क्रिमिनल अपील 498/98 माननीय उच्च न्यायालय में में दायर किया गया जो वर्तमान् समय में लंबित है।

चूँकि श्री सिंह, दिनांक 19.09.1998 से हिरासत में रहें। अतः उक्त तिथि के प्रभाव से उन्हे निलंबित कर दिया गया। इस निलम्बन के विरूद्ध श्री सिंह माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-5940/2000 दायर किया। यह मामला भी सम्प्रति माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान् समय में लंबित है। उक्त दोनो मामले न्यायाधीन रहने के कारण वे निलम्बित चल रहे है।

अतः संचिकाओं में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सम्यक् विचारोपरांत श्री मुरलीधर सिंह, कार्यालय परिचारी (निलंबित) जिला भू-अर्जन कार्यालय मुंगेर मुख्यालय जिला स्थापना शाखा मुंगेर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली - 2005 के नियम 09 (3) का (प) के तहत निलंबन से मुक्त करते हुए जिला पंचायत राज कार्यालय में पदस्थापित करते हुए जिला स्थापना शाखा, मुंगेर में प्रतिनियुक्त किया जाता है, निलंबन अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि नहीं मानी जाएगी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के नियम 10 (i) के आलोक में निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि उनके सेवापुस्त में दर्ज करते हुए सेवापुस्त में दर्ज प्रविष्टि की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिशिचित करें। (अन्य लाभ न्यायालय के वाद सं0 5940/2000, Cr.App.-498/98(DB) में आदेश के फलाफल पर निर्भर होगा)। साथ ही श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु अलग से संचिका उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर)

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1632/स्था0, दिनांक 21/11/12

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता,मुंगेर/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री मुरलीधर सिंह, कार्यालय परिचारी (निलंबित) जिला भू-अर्जन कार्यालय मुंगेर प्रतिनियुक्त जिला लोक शिकायत कार्यालय मुंगेर मुख्यालय जिला स्थापना शाखा मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 17/11/12

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

E:\Niranjan\Murlidhar Singh.doc